

प्रकरण सं० अनवान

Continuation Note Sheet

28/2/20

पत्रावली पेश हुई। अधिका उभयपक्ष अपक्षिर। मूल का
में वाड विधि का वर्णित होने से खाजि के आठे।
पर: प्राप्ति पत्र RIA 212 की साखीन के आठे।
अर: प्राप्ति पत्र RIA 212 खाजि किया जाता है।
निर्णय आज युक्त न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
कैलन शुभार होता नम्बर के काम की जाकर 4 दिन
दफ्तार है।

(उम्मेद सिंह रत्न)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

